

सुनील जैन

बनाम

सुदेश जैन

प्रकरण सं

30/2019

17/11/02

वकील सुभाष पट्ट उपा. P.O. ला. अ. म. राजवाड़ा में ब्यापक होने से पञ्जाबी सुनील जैन के 24/11/02 को बेश हो।

24/11/02

अपीलाट एवं वकील अपीलाट अनुपस्थित। वकील इन्फोर्म बंद होत हुए उपस्थित। अपीलाट एवं वकील अपीलाट को रुक रुक कर आवेगें लगवई गई किन्तु अपीलाट एवं वकील अपीलाट उपस्थित नहीं होने से अपील अडम होगरी अडम पेटवी में खारिज की जाती है। पञ्जाबी केसम सुमा होवा नकद से बस भी जावे। अधिवक्ता न्यायाधीश लक्ष्मीशुदा पञ्जाबी लौररी जावे। काड लामिड लक्ष्मीशुदा साक्षर दफ्तार हो।

जिला कलक्टर
कोटा